

न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर

विविध बैंक प्रकरण संख्या 72/2023(GCMS : 2023/94)

ए यू स्मॉल फाईनेन्स बैंक लिमिटेड (पूर्व में ए यू फाईनेंसर्स इण्डिया लिमिटेड के नाम से जाना जाता था) रजिस्टर्ड कार्यालय 19 ए, धुलेश्वर गार्डन, अजमेर रोड, जयपुर-302001, शाखा कार्यालय-4-ई-8-जवाहरनगर, प्रथम तल, मीरा अधिक रोड नजदीक गौड हास्पिटल, श्रीगंगानगर, जरिये अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता - प्रो. फोलियो कलैक्शन मैनेजर मनोज कुमार पुत्र श्री महावीर प्रसाद



बनाम

1. वेदप्रकाश पुत्र श्री लालचंद, निवासी 9 टी.के.डब्ल्यू, गणेशगढ़, बारानी जिला श्रीगंगानगर पिन-335025- मूल ऋणी।
2. लालचंद पुत्र श्री गोविन्दराम, निवासी मं. नं. 19, वार्ड नं.3, गांव 9 टी.के.डब्ल्यू, खीचडांवाली, गणेशगढ़ बारानी, जिला श्रीगंगानगर-सह ऋणी।

08.11.2023

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी बैंक/कम्पनी ने जरिये अधिवक्ता श्री सुरेन्द्र मेन्दीरता ने एक प्रार्थना पत्र वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत दिनांक को प्रस्तुत किया है कि प्रार्थी बैंक/कम्पनी द्वारा अप्रार्थीगण वेदप्रकाश, लालचंद को ऋण सुविधा के रूप में राशि 3,00,000/-लाख रुपये (अखरे रुपये तीन लाख मात्र) के ऋण राशि की स्वीकृति दिनांक 13.04.2021 को प्रदान की थी। ऋण की सुरक्षा की एवज में अप्रार्थी लालचंद द्वारा बंधक रखी अपनी अचल सम्पत्ति ग्राम पंचायत, ताखरांवाली, पंचायत समिति सादुलशहर, जिला श्रीगंगानगर पट्टा सं. 95, बुक सं. 43 (क्षेत्रफल 4004 सक्वायर फीट) जिसका आसापासा-पूर्व में गली, पश्चिम में दलीप कुमार, उतर में फिरनी, दक्षिण में ओमप्रकाश की सम्पत्ति है, का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को पुलिस की सहायता से दिलाया जाने की प्रार्थना की है।

मैने, पत्रावली में उपलब्ध उनके प्रार्थना पत्र धारा 14, शपथ पत्र एवं अन्य उपलब्ध दस्तावेजात का भी अवलोकन किया तो पाया कि उक्त प्रार्थना पत्र के अनुसार प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थीगण वेदप्रकाश व लालचंद को ऋण सुविधा के रूप में 3,00,000/- लाख रुपये (अखरे रुपये तीन लाख मात्र) की राशि की स्वीकृति दिनांक 13.04.2021 को प्रदान की थी। ऋण की सुरक्षा की एवज में अप्रार्थी लालचन्द

Signature
जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

19
श

ने अपनी अचल सम्पत्ति ग्राम पंचायत, ताखरावाली, पंचायत समिति सादुलशहर, जिला श्रीगंगानगर पट्टा सं. 95, बुक सं. 43 (क्षेत्रफल 4004 सक्वायर फीट) जिसका आसापासा-पूर्व में गली, पश्चिम में दलीप कुमार, उत्तर में फिरनी, दक्षिण में ओमप्रकाश की सम्पत्ति है, प्रार्थी बैंक के पास रहन रखी। प्रार्थी बैंक के प्रार्थना धारा 14 एवं उसके समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेजात एवं शपथ पत्र के अनुसार अप्रार्थी ऋणी का खाता दिनांक 13.10.2022 को अनर्जक परिसम्पत्ति (एन.पी.ए.) हो गया। बैंक द्वारा अप्रार्थी ऋणी को धारा 13(2) के नोटिस दिनांक 15.10.2022 को जारी कर, दिनांक 20.10.2022 को रजिस्टर्ड डाक से भिजवाये गये है। धारा 13(2) नोटिस अप्रार्थीगण को भिजवाने की पोस्ट ऑफिस रसीद एवं प्राप्ति के ऑनलाईन ट्रैक पत्रावली में उपलब्ध है, जिसके अनुसार अप्रार्थी लालचन्द को 13(2) की नोटिस तामील हो गई है, परन्तु अप्रार्थी वेद प्रकाश को धारा 13(2) के नोटिस की तामील नहीं हुई है, इसलिए प्रार्थी बैंक ने धारा 13(2) को उकी बंधक सम्पत्ति पर दिनांक 04.11.2022 को चस्पा कर दो समाचार पत्रों समाचार जगत एवं इण्डियन एक्सप्रेस में दिनांक 06.11.2022 को प्रकाशित करवाया है, जिसके अनुसार अप्रार्थीगण को धारा 13(2) के नोटिस की तामील हो चुकी है।

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर कार्रवाई करने के लिए विवादग्रस्त सम्पत्ति जिसका भौतिक कब्जा चाहा जा रहा है वह सम्बन्धित जिला मजिस्ट्रेट के क्षेत्राधिकार में होना आवश्यक है और दूसरा सम्बन्धित ऋणियों पर धारा 13(2) के नोटिस की तामील ऋणियों/जमानतदारों पर विधिवत् रूप से होनी आवश्यक है।

जहां तक ऋण की एवज में बंधक रखी गई अप्रार्थी लालचंद की अचल सम्पत्ति ग्राम पंचायत, ताखरावाली, पंचायत समिति सादुलशहर, जिला श्रीगंगानगर पट्टा सं. 95, बुक सं. 43 (क्षेत्रफल 4004 सक्वायर फीट) जिसका आसापासा-पूर्व में गली, पश्चिम में दलीप कुमार, उत्तर में फिरनी, दक्षिण में ओमप्रकाश की सम्पत्ति है,

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर


जो प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी हुई है, का संबध है, वह निम्न हस्ताक्षरकर्ता के क्षेत्राधिकार जिला श्रीगंगानगर में स्थित है। इसलिए वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के तहत निम्न हस्ताक्षरकर्ता कार्रवाई करने के लिए सक्षम है।

जहां तक अप्रार्थी ऋणी पर धारा 13(2) के जारी नोटिस 15.10.2022 की तामील का प्रश्न है। प्रार्थना पत्र के अनुसार दिनांक 15.10.2022 के धारा 13(2) के नोटिस अप्रार्थीगण को रजिस्टर्ड डाक से दिनांक 20.10.2022 को भिजवाये गये है। प्राप्ति के परिणामस्वरूप अप्रार्थीगण के पोस्ट ऑफिस के ऑनलाईन ट्रैक पत्रावली में उपलब्ध है, जिसके अनुसार अप्रार्थी लालचन्द को धारा 13(2) का नोटिस प्राप्त हो गया है, परन्तु अप्रार्थी वेदप्रकाश को धारा 13(2) का नोटिस प्राप्त नहीं हुआ है। इसलिए प्रार्थी बैंक ने 13(2) का नोटिस अप्रार्थीगण की बंधक सम्पत्ति पर दिनांक 04.11.2022 को चस्पा कर, दो समाचार पत्रों समाचार जगत एवं इण्डियन एक्सप्रेस में दिनांक 06.11.2022 को प्रकाशित करवाये है, जिसके अनुसार अप्रार्थीगण को धारा 13(2) के नोटिस की तामील होना माना जाना उचित है। इसके बावजूद भी अप्रार्थीगण ने बैंक की समस्त बकाया ऋण राशि जमा नहीं करवाई है और न ही शपथ पत्र के अनुसार नोटिस पर कोई आपत्ति या अभ्यावेदन प्रस्तुत किया है। इसलिए ऋण की सुरक्षा की एवज में अप्रार्थी ऋणी लालचंद के द्वारा प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी गई संपत्तियों का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को दिलाया जाना उचित होगा।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी बैंक, ए यू स्मॉल फाईनैन्स बैंक लिमिटेड का उक्त प्रार्थना पत्र वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 अन्तर्गत धारा 14 स्वीकार किया जाता है और अप्रार्थी ऋणी लालचंद द्वारा प्रार्थी बैंक/कम्पनी से प्राप्त ऋण की सुरक्षा की एवज में बंधक रखी गई अचल सम्पत्ति ग्राम पंचायत, ताखरावाली, पंचायत समिति सादुलशहर, जिला श्रीगंगानगर पट्टा सं. 95, बुक सं. 43 (क्षेत्रफल 4004 सक्वायर फीट) जिसका

आसापासा-पूर्व में गली, पश्चिम में दलीप कुमार, उत्तर में फिरनी, दक्षिण में ओमप्रकाश की सम्पत्ति है, का भौतिक कब्जा जरिये पुलिस की सहायता से प्रार्थी बैंक/कम्पनी को दिलाये जाने के आदेश दिये जाते हैं। इस आदेश की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर को इस आदेश के साथ अग्रेषित की जाती है कि प्रार्थी बैंक को उक्त अचल सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाने हेतु उनके चाहे अनुसार, नियमानुसार पुलिस सहायता उपलब्ध करवाई जावे। आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक व जिला पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तर्तीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 08.11.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(अंशदीप)
जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर